हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 140

वीरवार, 16 मार्च, 2017/25 फाल्गुन, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3660, 3665 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3842 से 3849 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3850 से 3879 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1634 से 1647 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. **कागजात सभा पटल पर :**

(1) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने जे0पी0 सूचना प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 विश्वविद्यालय, वाकनाघाट का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् का वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. **सदन की समितियों के प्रतिवेदनः**

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **169वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 153वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **170वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 154वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री संजय रतन, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **68वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2012 में इंगित ऑडिट पैरों की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम समिति, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम समिति तथा हिमाचल प्रदेश कृषि पैकेजिंग इंडिया सीमित** से सम्बन्धित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति के **49वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) (वर्ष 2006-07) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 24वें कार्रवाई प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमानः सामान्य चर्चा।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव
2. श्री सुरेश भारद्वाज

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप।

(अपराह्न 1.15 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.15 बजे सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

बजट पर सामान्य चर्चा ज़ारीः

3. श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री
4. श्री वीरेन्द्र कंवर
5. श्री सोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिव
6. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
7. श्री अजय महाजन
8. श्री विजय अग्निहोत्री

(श्री विजय अग्निहोत्री के भाषण के दौरान सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 7.00 बजे तक बढ़ाई गई)

9. श्री राम कुमार

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष द्वारा हस्तक्षेप।

10. श्री कृष्ण लाल ठाकुर
11. श्री बम्बर ठाकुर
12. श्री नरेन्द्र ठाकुर

(श्री नरेन्द्र ठाकुर के भाषण के दौरान सांय 7.00 बजे सदन की बैठक सांय 7. 45 बजे तक बढ़ाई गई)

13. श्री मनोहर धीमान

माननीय उद्योग मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप।

14. श्री विनोद कुमार

(श्री विनोद कुमार के भाषण के दौरान सांय 7.45 बजे सदन की बैठक रात्रि 8.00 बजे तक बढ़ाई गई)

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप।

(सांय 7.55 बजे सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)